कार्यालय
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, चतरा ।
(स्थापना शाखा)

आज दिनांक 11.01.2018 को मुख्यमंत्री जनसंवाद Grievance No.-2016-63605 एवं 2017-9556 से प्राप्त परिवाद के संदर्भ में विभागीय संकल्प संख्या 335, पटना, दिनांक 19.09.1992 के आलोक में वर्ष 2008 में समाहरणालय, स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग, चतरा के वर्ग 4 के कर्मियों को जिला स्तर पर आयोजित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर समाहरणालय, चतरा अन्तर्गत वर्ग–4 के पद से वर्ग 3 में दी गयी प्रोन्नति पर विचारार्थ उपायुक्त, चतरा की अध्यक्षता में जिला स्थापना समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निम्नांकित पदाधिकारी भाग लिए:–

01. उपायुक्त, चतरा ।
02. उप विकास आयुक्त, चतरा ।
03. अपर समाहर्ता, चतरा ।
04. अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा–सह–सिमरिया ।
05. स्थापना उपसमाहर्ता, चतरा ।
06. सिविल सर्जन, चतरा ।
07. जिला शिक्षा पदाधिकारी, चतरा ।
08. जिला शिक्षा अधीक्षक, चतरा ।
09. जिला कल्याण पदाधिकारी, चतरा ।
10. कार्यालय अधीक्षक, समाहरणालय, चतरा ।

–: कार्यवाही :–

समिति द्वारा सर्वप्रथम वर्ष 2008 में समाहरणालय, स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग, चतरा के वर्ग 4 के कर्मियों को समाहरणालय, चतरा में वर्ग 3 के पद पर दी गयी प्रोन्नति से संबंधित संचिका, विभागीय आदेश/निदेश, प्राप्त परिवाद एवं अन्य दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरांत निम्न तथ्य स्पष्ट है:–

वर्ष–2008 में चतुर्थ वर्ग से तृतीय वर्ग में प्रोन्नति हेतु जिलास्तर पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने का निर्णय विभागीय आदेश पत्रांक–335, दिनांक 16.09.1992 के आधार पर लेते हुए विभिन्न संवर्गो के 24(चौबीस) चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को समाहरणालय अन्तर्गत तृतीय वर्ग में प्रोन्नत किया गया। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड रांची के पत्रांक–8267, दिनांक 21.12.2009 के द्वारा निदेशित है कि बिहार सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार के संकल्प संख्या–11243, दिनांक 06.12.1995 में अंकित प्रावधानों के आलोक में क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्ग–4 से वर्ग–3 के पद पर प्रोन्नति की कार्रवाई सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जायेगी, जिसका आयोजन ***राज्य लोक सेवा आयोग*** के द्वारा किया जायेगा। उक्त निदेश से स्पष्ट होता है कि वर्ष–2008 में जिलास्तर पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने का विभागीय निदेश प्राप्त नहीं था। पत्रांक–158/स्था0, दिनांक 21.04.2008 द्वारा समाहरणालय, स्वास्थ्य, शिक्षा संवर्ग के चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को प्रोन्नति हेतु आवेदन प्राप्त किया गया है तथा समाहरणालय के वर्ग–03 के सीधी नियुक्ति हेतु रिक्त पदो के 50% (कुल 25 पद) पर प्रोन्नति हेतु सीमित प्रतियोगिता परीक्षा–2008 का आयोजन किया गया था। नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व कोटिवार रिक्ति का प्रकाशन नहीं किया गया। सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए चतुर्थ वर्ग से तृतीय वर्ग में प्रोन्नति हेतु रिक्त पदों का आरक्षण रोस्टर का सक्षम स्तर से अनुमोदित नहीं कराया गया। प्रोन्नति के लिए वरीयता की अधिमानता एवं योग्यता आवश्यक आधार है, परंतु मेधा सूची के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कई शून्य वरीयता प्राप्त एवं असंपुष्ट चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को तृतीय वर्ग में प्रोन्नति दी गई। प्रोन्नति में मात्र अ0जा0 एवं अ0ज0जा0 को आरक्षण अनुमान्य है, परंतु विषयगत प्रोन्नति प्रक्रिया में अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण का लाभ देते हुए प्रोन्नत किया गया।

01. उक्त तथ्यों के आलोक मे स्पष्ट होता है कि प्रोन्नति प्रक्रिया में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–335/का0 दिनांक–16.09.1992 के आधार पर प्रोन्नति प्रक्रिया प्रारंभ की गई। उल्लेख करना है कि संयुक्त बिहार के जारी किए गए सभी आदेश/संकल्प/निदेश झारखण्ड गठन के पश्चात् यद्यपि प्रभावी है, परन्तु उनके आधार पर झारखण्ड सरकार की अनुमति/आदेश के बिना नियुक्ति/प्रोन्नति प्रक्रिया प्रारंभ करना विधि सम्मत नहीं है। प्रोन्नति प्रक्रिया में संवर्ग विनियमण एवं आरक्षण नियमों के साथ नियुक्ति प्रक्रिया का नियम सम्मत् अनुपालन निष्ठापूर्वक नहीं किया गया है। अतएव प्रोन्नति के उक्त बिन्दुओं पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से सहमति दी गई कि विषयगत प्रोन्नति की कार्रवाई में प्रोन्नति से संबंधित स्थापित नियमों और आदेशों का विचलन हुआ है। पद विज्ञापित नहीं होना, शून्य वरीयता प्राप्त एवं असंपुष्ट चतुर्थ वर्गीय कर्मियों का तृतीय वर्ग में अंतर विभागीय प्रोन्नति हेतु चयन होना, आरक्षण नियमों का उल्लंघन होना, प्रोन्नति प्रक्रिया में प्रश्न चिन्ह है। समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत प्रोन्नति से लाभान्वित कर्मियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों